दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को जिला परिषद्, कुल्लू की त्रैमासिक बैठक मान्नीय अध्यक्ष श्री हरि चन्द शर्मा, जी, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही निम्न प्रकार से है:–

सर्वप्रथम मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित होने पर उपाध्यक्षा जिला परिषद तथा समस्त सदस्यों व अधिकारीगण का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, जिला परिषद द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

गत बैठक कार्यवाही की अभिपुष्टि:–

प्रस्ताव संख्या:– 11/दिनांक 01.08.2011
श्रीमती प्रेमलता, मान्नीय सदस्या जिला परिषद् कुल्लू
1.लगवैली, दलीघाट सड़क का कार्य पूर्ण करने बारे:–

अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम ने अवगत करवाया है कि **कोलीबेहड़ से बाराहार सड़क** का कार्य प्रगति पर है तथा इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इस सन्दर्भ में यह भी सूचित किया जाता है कि कोलीबेहड़ से बाराहार सड़क के शुरू के 6 कि0मी0 पास करने के लिए उप मण्डलाधिकारी नागरिक कुल्लू ने 24.9.2014 की दिनांक निर्धारित की है।

अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल–2 ने अवगत करवाया कि भूमतीर सड़क के निर्माण का कार्य ठेकेदार को अवार्ड कर दिया गया है तथा इसका कार्य प्रगति पर है, जिसे 31.10.2014 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा वड़े वाहनों की आवाजाही के लिए इस सड़क को पास करवा लिया जाएगा।

सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि कोलीबेहड़ से बाराहार सड़क का कार्य प्रगति पर है तथा दड़का से भूमतीर सड़क का कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा। अतः मान्नीय सदस्य की सहमति से कोलीबेहड़ से बाराहार सड़क तथा दड़का से भूमतीर सड़क के मद को सर्वसम्मति से समाप्त किया गया।

अतः मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल–2 को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त सड़कों के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर अवगत करवाएँ।

2. कोलीबेहड़ बनोगी सड़क का कार्य करने बारे:–

अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम ने अवगत करवाया है कि कोलीबेहड़ बनोगी सड़क तैयार हो चुकी है लेकिन यह सड़क शुरू में तथा 4 कि0मी0 के नजदीक तंग थी जिसे मान्नीय जिला परिषद सदस्य, श्रीमति प्रेमलता ठाकुर, तथा मान्नीय विधायक श्री महेश्वर सिंह तथा स्थानीय लोगों के कथित प्रयासों से सुलझा लिया

गया है तथा वहॉ पर सुरक्षा दिवारों का निर्माण भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस सड़क के शुरू के 6 कि0मी0 को पास करने हेतू उप–मण्डाधिकारी नागरिक कुल्लू ने दिनांक 24.9.2014 तिथि निर्धारित की है।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण प्रथम / अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वितीय)

प्रस्ताव संख्याः– 13/दिनांक 01.08.2011
श्रीमती प्रेमलता, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् कुल्लू
<u>समाणा नाला में गिरी चट्टान को हटाने बारेः–</u>

अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल–2 ने अवगत करवाया है कि समाणा नाले में गिरी चट्टान को तोड़ने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। अतः सदन की सहमति से प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समाप्त किया गया तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू का तथा विभागीय अधिकारियों का इस कार्य के लिए आभार प्रकट किया गया।

(सम्बन्धित विभागः– अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू/जिला योजना अधिकारी कुल्लू/ अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वितीय)

प्रस्ताव संख्याः–24/दिनांक 01.08.2011
समस्त पदाधिकारीगण
<u>जिला परिषद् कार्यालय में दो अतिरिक्त सेवादार के पद स्वीकृत किए जाने बारेः–</u>

जिला परिषद सदन द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सेवादार के नए पद स्वीकृत करने हेतू निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला से प्रस्ताव के माध्यम से पुनः अनुरोध किया गया है कि कार्यालय में एक सेवादार होने के कारण कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। क्योंकि जिला परिषद् कार्यालय में कार्यरत सेवादार अधिकतर स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर रहता है जिस कारण इस दौरान कार्यालय में कोई सेवादार उपस्थित नहीं रहता। अतः जिला परिषद कार्यालय कार्य हेतू 2 अतिरिक्त सेवादार के पद स्वीकृत किए जाऍं ताकि कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

(सम्बन्धित विभागः– निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9)

प्रस्ताव संख्या :–17/दिनांक 19.3.2012
<u>13वां वितायोग के अन्तर्गत जिला परिषद भवन की दूसरी मंजिल में रेस्ट हाउस का निर्माण करने बारेः–</u>

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया है कि जिला परिषद भवन में रेस्ट हाउस/पंचायत भवन कुल्लू का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और दिनांक 09 सितम्बर, 2014 को इस भवन का उद्घाटन किया जाएगा।

(सम्बन्धित विभागः–कार्यालय जिला परिषद्)

प्रस्ताव संख्या 12/दिनांक 27.6.2012
श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष, जिला परिषद्
<u>अग्नि शमन केन्द्र खोलने बारेः–</u>

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा छः बड़ी विद्युत परियोजनाओं से आग्रह किया कि वे LADC योजना शीर्ष के अन्तर्गत अग्नि शमन केन्द्र खोले जिसके अन्तर्गत **एलायन दुहांगन द्वारा नगर में** अग्नि शमन केन्द्र खोला जाए ताकि वह मनाली क्षेत्र की जनता को भी लाभान्वित कर सकें। महा प्रबन्धक, रामपुर प्रोजैक्ट, एसजेवीएनएल, **झाकड़ी द्वारा निरमण्ड** में अग्नि शमन केन्द्र भवन खोलने हेतू आगामी कार्यवाही अमल में लाए तथा कि गई कार्यवाही से सदन को भी अवगत करवाऍ।

श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य द्वारा सदन व मान्नीय अध्यक्ष महोदय को सुझाव दिया गया कि एल0ए0डी0एफ0 के अन्तर्गत एन0एच0पी0सी0 **स्टेज–2 शाढ़ावाई** में होमगार्ड के कार्यालय के पास अग्नि शमन केन्द्र स्थापित करे और एन0एच0पी0सी0 **स्टेज–3 लारजी में** पी0डब्लयू0डी0 रेस्ट हाउस/एन0एच0पी0सी0 कार्यालय के पास अग्नि शमन केन्द्र स्थापित करें। कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धि समस्या के सम्बन्ध में होमगार्ड के कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है जिस दौरान इन्हें होमगार्ड विभाग की और से ब्रेक दी जाती है।

आदेशक गृह रक्षा सातवीं वाहिनीं कुल्लू ने अवगत करवाया है कि इन द्वारा मामले को महा निदेशक (आरक्षी)–एवं–निदेशक अग्निशमन सेवाऍ हिमाचल प्रदेश शिमला–2 को भेजा गया है जैसे ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही होती है आपको अवगत करवाया जाएगा।

महा प्रबन्धक, एनएचपीसी, स्टेज–2 पार्वती काम्पलैक्स, नगवाई जिला मण्डी ने अवगत करवाया है कि पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण–2 के द्वारा LADC योजना शीर्ष के अन्तर्गत जमा कराई गई धनराशि में से अग्निशमन केन्द्र खोलने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में परियोजना के अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि परियोजना के बजट में अग्नि शमन केन्द्र खोलने का प्रावधान नहीं है। अतः भविष्य में इसे LADC की बैठक में पेश किया जा सकता है ताकि इसे LADC की जिला स्तर की योजनाओं के अन्तर्गत कियान्वित किया जा सके।

सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्ष LADC से अनुरोध किया गया कि वे LADC योजना शीर्ष से अग्नि शमन क्रेन्द्र भवन का निर्माण हेतू बजट का प्रावधान करवाने की अनुकम्पा करें तथा कर्मचारियों की व्यवस्था होमकार्ड से करवाई जा सकती है।

(सम्बन्धित विभागः–निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला / अध्यक्ष, एल0ए0डी0सी0एवं उपायुक्त कुल्लू/ समस्त छः विद्युत परियोजना जिला कुल्लू/ आदेशक गृह रक्षा सातवीं वाहिनी कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 18/दिनांक 27 जून, 2012
श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य जिला परिषद
<u>भून्तर से मनीकर्ण–बरशैणी–नकथान सड़क को सैन्ट्रल रिजर्व फडिग के तहत डवललेन स्ट्रैचनिग करने बारेः–</u>

सदन में सचिव जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 25 नवम्बर, 2013 की बैठक में प्राप्त उतर अनुसार संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला द्वारा अवगत करवाया गया है कि इस सम्बन्ध में इनके कार्यालय पत्र संख्या दिनांक 16.11.2013 द्वारा इन्होंने मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला 171002 को आगामी कार्यवाही हेतू निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में मान्नीय सदस्य द्वारा रोष प्रकट करते हुए अवगत करवाया गया कि जब कि सरकार द्वारा भी विभाग को निर्देश दिए गए हैं तो फिर कार्य में बाधा क्यों हो रही है ?

सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे अपने मुख्य कार्यालय के समक्ष इस मामले का उठाए ताकि भून्तर से मनीकर्ण–बरशैणी–नकथान सड़क को सैन्ट्रल रिजर्व फंडिग के तहत डवललेन स्ट्रैचनिग की जा सके।

(सम्बन्धित विभागः–लोक निर्माण विभाग मन्त्री/
संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला/
मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला 171002)

प्रस्ताव संख्याः– 20/दिनांक 27 जून, 2012
अध्यक्ष जिला परिषद्
<u>स्ट्रीट लाईटें लगाने बारेः–</u>

गत बैठक के अन्तर्गत सदन में जिला परियोजना अधिकारी, हिम ऊर्जा कुल्लू ने अवगत करवाया है कि इस सम्बन्ध में दिनांक 31 जुलाई, 2013 की बैठक के अन्तर्गत प्रेषित योजनाओं को उनके द्वारा निदेशालय स्वीकृति हेतू प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त मान्नीय उपाध्यक्षा जिला परिषद् द्वारा ग्राम पंचायत पिछलीहार के क्षेत्र में तथा श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या द्वारा उनके वार्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत ब्राहम्ण, भूमतीर, भढ़ाई तथा बुआई के क्षेत्र में सौलर लाईटें लगवाई जानी अति आवश्यक है (ग्राम पंचायत प्रस्ताव संलग्न)। अधिकारी को अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। विभाग से अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे। इसलिए प्रस्ताव पर चर्चा न हो सकी।

(सम्बन्धित विभागः––परियोजना अधिकारी, हिम उर्जा कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 03 /दिनांक 26.11.2012
श्री दिनेश सेन मान्नीय सदस्य जिला परिषद्
कोठी फण्ड के सम्बन्ध में जानकारी देने बारेः–

मान्नीय सदस्य विभाग के दिए गए उतर से सन्तुष्ट नहीं हुए और सदन को अवगत करवाया गया कि कोठी फण्ड से जो भी दुकानों का किराया प्राप्त हो रहा है, उस किराए की दर अतिअधिक कम है तथा वे दुकानदार लाखों में आय कमा रहें है जबकि वे जिला कुल्लू के स्थाई निवासी भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जिला कुल्लू की स्थानीय महिलाएँ गॉव से रोजाना सब्जियॉ इत्यादि बेचने के लिए बाज़ारों में आती हैं तो उन्हें चौराहे पर दुकान लगाकर सब्जियों को बेचना पड़ता है। यदि इन्हें उपरोक्त दुकानों में स्थान दिया जाए तो इनके आय के साधन भी बढ़ेगें तथा इसका लाभ जिला कुल्लू की स्थानीय महिलाओं को भी मिलेगा।

सदन में इस सम्बन्ध में पुनः मान्नीय सदस्य जिला परिषद् द्वारा विभाग से अनुरोध किया गया कि इस सम्बन्ध में शीध्र ही कार्यवाही अमल में लाएॅ या इस सम्बन्ध में अवगत करवाएॅ कि कोठी फण्ड से निर्मित दुकानों का किराया इतना कम क्यों है तथा बाहरी दुकानदारों को लाभ प्रदान करने का क्या औचित्य है इस सम्बन्ध में जिला परिषद् कार्यालय को 15 दिनों के भीतर अवगत करवाया जाए।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया है कि इस सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी कुल्लू को लिखा गया है कि वे कोठी फंड से निर्मित दुकानों के किराया सम्बन्धि बैठक का आयोजन उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में करेगें तथा बैठक में इस मामले पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया कि इस सम्बन्ध में दिनांक 01.03.2014 को निर्धारित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार, दुकानदारों को दुकानें खाली करने हेतू आदेश दिए गए तो दुकानदारों द्वारा कोर्ट में मुकद्मा किया गया।

जिस पर मान्नीय सदस्य महोदय द्वारा विभाग से अनुरोध किया गया कि वे जब भी इस बारे बैठक का आयोजन करें तो मान्नीय अध्यक्ष महोदय तथा इन्हें भी बैठक में बुलाया जाए। जिस पर विभाग ने आश्वासन दिलाया कि जब भी इस बारे बैठक होती है तो मान्नीय अध्यक्ष महोदय व मान्नीय सदस्य को बुलाया जाएगा।

अतः मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे शीध्र इस बैठक का आयोजन करें।

(सम्बन्धित विभागः– वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 03/दिनांक 06.03.2013
अध्यक्ष/ उपाध्यक्षा जिला परिषद्/ प्रेमलता ठाकुर, मा्नीय सदस्या जिला परिषद्/दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद/श्री बुद्दि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू

<u>ख. अलेऊ, ब्राण, जटेहड़, पनारसा, छाकी, जोगणी माता स्थान पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग की मुरम्मत करने बारे तथा टनल में लाईट की रोशनी की मात्रा बढ़ाने बारे तथा भून्तर पुल का निर्माण शीध्र करने बारेः–</u>

सदन में विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि **अलेऊ सड़क** का कार्य प्रगति पर है तथा **ब्राण सड़क** का प्राक्कलन जोकि सड़क सुरक्षा के तहत आता है उस प्राक्कलन को स्वीकृति हेतू मन्त्रालय भेजा गया है जैसे ही बजट का प्रावधान होगा कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा। तत्पश्चात् एक माह में कार्य आरम्भ हो जाएगा। **छाकी सड़क** के लिए अभी तक भूमि का प्रावधान नहीं हुआ है जैसे ही भूमि का प्रावधान होता है तो कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। **जोगणी माता स्थान** पर किए जाने वाला कार्य पूर्ण हो चुका है।

श्री दिनेश सेन मान्नीय सदस्य जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि पनारसा से आगे पण्डोह के साथ लगती टनल में जो विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाई गई है उसमें रोशनी बहुत कम है जिस कारण कि यहॉ पर कई बार वाहन सम्बन्धि दुर्घटना हुई है।

श्री बुद्वि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद द्वारा विभाग से पूछा गया कि भून्तर पुल के निर्माण का कार्य अभी तक आरम्भ क्यों नहीं किया गया जिस पर अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि इसका वार्षिक प्लान तैयार हो चुका है तथा इसके पश्चात टेन्डर कॉल किए जाएगें तत्पश्चात केस मन्त्रालय को स्वीकृति हेतू भेजा जाएगा तथा प्राक्कलन तैयार किया जाएगा व बजट का प्रावधान होने उपरान्त कार्य आरम्भ किया जाएगा।

सदन में मान्नीय सदस्या द्वारा अवगत करवाया गया कि जोगणी माता स्थान में मुरम्मत कार्य को पूर्ण किया जा चुका है। अतः इस मद को समाप्त किया जाता है।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि टनल में उपलब्ध करवाई गई विद्युत सुविधा की मात्रा को बढ़ाया जाए ताकि वाहन चालकों को वाहन चलाने में असुविधा न हो तथा भून्तर पुल के निर्माण कार्य की प्रक्रिया को शीध्रता से किया जाए ताकि निर्माण कार्य समय पर आरम्भ हो सके।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पण्डोह मण्डी / अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल प्रथम व द्वितीय)

प्रस्ताव संख्याः– 12/दिनांक 06.03.2013
समस्त पदाधिकारीगण
<u>13वां वितायोग के निर्माण कार्य आरम्भ पूर्व कार्य योजना स्थल पर जिला परिषद का बोर्ड लगाने बारेः–</u>

सदन में खण्ड विकास अधिकारी नगर, कुल्लू तथा निरमण्ड द्वारा 13वां वितायोग की कुछ योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटो सहित प्रस्तुत किए गए तथा

अध्यक्ष जिला परिषद् द्वारा बन्जार तथा आनी के खण्ड विकास अधिकारियों को इस समबन्ध में पुनः निर्देश दिए गए कि आगामी बैठक से पहले सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटो सहित जिला परिषद् को भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा मामले को निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(सम्बन्धित विभागः—समस्त खण्ड विकास अधिकारी)

प्रस्ताव संख्याः— 19/दिनांक 06.03.2013
समस्त पदाधिकारीगण
जिला परिषद् अध्यक्ष को अपने जिला में तथा मान्नीय जिला परिषद् सदस्यों को उनके वार्ड क्षेत्र में विकास कार्यों के शिलान्यास/उद्‌घाटन हेतू अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने बारेः—

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में सरकार से निर्देश जारी होने की आशा है।

(मान्नीय मुख्यमन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला—2/
निदेशक पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग /
सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग)

प्रस्ताव संख्याः— 21/दिनांक 06.03.2013
कार्यालय जिला परिषद्
आगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण तथा निरीक्षण रिर्पोट सदन में प्रस्तुत करने बारेः—

जिला कार्यक्रम अधिकारी कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया कि इस सम्बन्ध में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को लिखा गया है कि वे विभाग द्वारा सूचना व शिक्षा मद के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाले जागरूकता शिविरों की सूचना जिला परिषद के मान्नीय अध्यक्ष, उपाध्यक्षा व सदस्यों को भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिला परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष व पदाधिकारी अपने वार्ड क्षेत्र में जब भी आगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण/प्रवास पर जाएँ तो उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए तथा समस्त पर्यवेक्षिकों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस सन्दर्भ में आगामी निर्देश जारी किए जाएं ताकि कोई शिकायत/आपति कार्यालय को प्राप्त न हो।

अतः सदन में पुनः मान्नीय पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे इस सम्बन्ध में पुनः आगनबाड़ी केन्द्रों का दौरा करें तथा उसकी निरीक्षण रिर्पोट इस कार्यालय को प्रेषित करें।

सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त लिए गए निर्णयानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जब भी आंगनबाडियों केन्द्रों सम्बन्धित बैठक हो तो सम्बन्धित मान्नीय पदाधिकारिगण को भी बैठक को बुलाया जाए।

(सम्बन्धित विभागः— कार्यालय जिला परिषद कुल्लू /
जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 22/दिनांक 06.03.2013
मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद् कुल्लूः–
<u>शौचालय निर्माण बारेः–</u>

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना के अन्तर्गत 2 योजनाओं दी गई जिनके निर्माण कार्य हेतू 13वां वितायोग से 20 प्रतिशत धनराशि खर्च की जाएगी।

1. निर्माण सार्वजनिक शौचालय गॉव नगर नजदीक सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत नगर।
2. निर्माण सार्वजनिक शौचालय गॉव शुरू मन्दिर के नजदीक ।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू द्वारा अवगत करवाया है कि उन द्वारा उनके कार्यालय पत्र संख्या 8785 दिनांक 15.2.2014 के अन्तर्गत मु0 1.97 लाख की राशी स्वीकृति उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी नगर को धन राशी जारी की जा चुकी है तथा पत्र संख्या 1599–1603 दिनांक 11.7.2014 द्वारा मु0 2.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा खण्ड विकास अधिकारी नगर को औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतू लिखा गया है।

सदन में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि उन सारी औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी है तथा 13वां वितायोग से 10 प्रतिशत अंशदान धनरााशि उपरोक्त दोनों योजनाओं के लिए स्वीकृत की जाए तो आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी जिस पर मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को आश्वासन दिलाया गया कि वे उपरोक्त दोनों योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत की धनराशि को स्वीकृत करवाकर उनके कार्यालय को प्रेषित कर देगें।

सदन में मान्नीनय अध्यक्ष महोदय द्वारा मान्नीय सदस्य श्री दिनेश सेन जी के आग्रह पर विभाग को निर्देश दिए गए कि वे सार्वजनिक शौचालय तथा व्यक्तिगत शौचालयों की विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत करवाएँ तथा व्यक्तिगत शौचालय तथा सामुदायिक शौचालयों के सर्वे की लिस्ट भी कार्यालय को प्रेषित करें।

(सम्बन्धित विभागः–परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण / खण्ड विकास अधिकारी, नगर)

प्रस्ताव संख्याः– 23/दिनांक 06.03.2013
समस्त पदाधिकारीगण
<u>फोटोस्टेट मशीन क्रय करने बारेः–</u>

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया कि जिला परिषद् कार्यालय हेतू फोटोस्टेट मशीन क्रय की जानी अति आवश्यक है। निदेशक महोदय को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतू लिखा गया है। जैसे ही निदेशक महोदय से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होती है, फोटोस्टेट मशीन क्रय कर ली जाएगी। अतः पुनः सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से निदेशक पंचायती राज महोदय से अनुरोध किया

गया कि कार्यालय प्रयोग हेतू फोटोस्टेट मशीन क्रय करने की प्रशाशनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(सम्बन्धित विभागः— निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—9)

प्रस्ताव संख्याः— 25 / दिनांक 06.03.2013

सम्पूर्ण स्वच्छता तथा पौधा रोपण एवं पर्यावरण अभियान का आयोजन करने बारेः—

सदन में सचिव जिला परिषद् द्वारा अवगत करवाया गया कि समस्त पदाधिकारीगण द्वारा उनके वार्ड क्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा पौधा रोपण अभियान एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में कार्यक्रम का आयोजित करें तथा रिर्पोट इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(सम्बन्धित विभागः— समस्त पदाधिकारीगण जिला परिषद कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः— 06 / दिनांक 31 जुलाई, 2013

श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्

1.जैविक खेती (Organic farming) कहॉ पर की जा रही है। इसके परिणाम कितने वर्षों में आते हैं। जैविक खेती के लिए कैसे वातावरण की आवश्यकता रहती है। क्या जैविक खेती के उत्पाद की गुणवता विभाग द्वारा जॉच की जाती है?

2. किसानों के लिए विभाग द्वारा कौन—कौन सी कल्याणकारी योजनाऍ चलाई जा रही है। क्या किसान विभाग की योजनाओं का लाभ उचित तरीके से उठा रहे है। जिन लोगों ने विभाग की योजनाओं का लाभ उठाया है। क्या विभाग उन किसानों के उत्पाद की जॉच करता है या नही?

3. विभाग द्वारा किसानों को जो बीज व कीटनाशक दिया जाता है। वह बाज़ार में बिकने वाले बीज व कीटनाशक जितने उपयोगी / गुणकारी होते हैं। विभाग द्वारा किसानों को जो बीज व कीटनाशक दिया जाता है क्या विभाग उसके सैंपल भरकर प्रयोगशाला में जॉच करवाने देते है या बिना जांच के देते है। जो किसान विभाग से बीज व कीटनाश खरीद के ले जाते है तो क्या विभाग उन किसानों के खतों में जाकर अपने बीज व कीटनाशक से तैयार उत्पादन का निरीक्षण भी करते है या नहीं ? बीज व कीटनाशक को विभाग किस दर से खरीदता है। उसकी क्या शर्ते है। ब्यौरा प्रस्तुत करें ?

गत बैठक में **उप—निदेशक, कृषि विभाग कुल्लू** द्वारा मान्नीय सदस्य को सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

अतः उप निदेशक उद्यान कुल्लू जिला कुल्लू द्वारा प्राप्त सूचना निम्न प्रकार से हैः—

1. उद्यानिकी फसलों जैसे सेब, खुर्मानी, पलम, नाशपाती, आडू तथा जापानी फलों की जैविक खेती कुल्लू घाटी के समस्त ऐसे क्षेत्रों में की जा सकती है जहॉ पर जलवायु इन फसलों के लिए उपयुक्त है। जिला कुल्लू में ऐसे क्षेत्र बजौरा से पलचान, लगघाटी, मणीकर्ण घाटी, सैंज, बन्जार तथा ऐसे क्षेत्र जो समुद्रतल से 6000—8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है अति उपयुक्त है।

भारत विकास संगम ऐसी संस्था है जो कुल्लू तथा हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। उक्त संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार शारची बन्दल नलहाच खड़ीहार तथा सेरी बेहड़ आदि क्षेत्र बन्जार तथा कुल्लू विकास खण्डों में जैविक खेती के लिए अति उपयुक्त है क्योंकि इन क्षेत्रों में फल फसलों पर रोग तथा कीड़ों की रोकथाम के लिए कीटनाशकों/फंफूदनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती से तैयार उत्पादों की जॉच तीन सालों के उपरान्त किया जाता है। जैविक उत्पादों की जॉच केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रयोगशालाओं के माध्यम से क्षेत्र में तीन वर्षों तथा जैविक खेती के लिए अपनाए गए उत्पादन हेतू मानकों के आधार पर किया जाता है।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम उतर पूर्व तथा हिमालयी क्षेत्रों के लिए उद्यान तकनीकी मिशन में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इस स्कीम के अन्तर्गत बागवानों को 10000 रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से प्रति बागवान तीन वर्षों तक क्रमशः 4000, 3000, 3000, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में जैविक खेती अपनाने के लिए नकद 50 प्रतिशत उपदान देने का प्रावधान है। इसी प्रकार से जैविक उत्पाद में प्रमाणीकरण के लिए 50 है0 क्षेत्र के लिए 5 लाख (क्रमशः 1.50ए 1.50, 2.0 लाख प्रथम द्वितीय तथा तृतीय) वर्षों में देने का प्रावधान है। केंचुआ खाद ईकाई पर 30000 रूपये उपदान का प्रावधान भी इस स्कीम में किया गया है।

इस स्कीम के कार्यान्वयन में 50 हैक्टेयर भूमि वांछित होता है जहॉ जैविक खेती किसी प्रमाणित संस्था की देखरेख में किया जा सके तथा तीन वर्षों के बाद इस क्षेत्र में उत्पादित फसल को उसी संस्था के माध्यम से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रमाणित करवाया जाता है। विभाग के अथक प्रयासों के बावजूद जिला कुल्लू में आज तक ऐसे समूहों का गठन नहीं कि जा सका है। हालांकि भारत विकास संगम ने अपने स्तर पर से कुछ ऐसे समूहों का गठन तथा प्रमाणीकरण किया है।

विभाग ने भी कुल्लू जिला में उतर पूर्वो क्षेत्रीय कृषि विपणन संस्था (एन इ आर एम ए सी) जो कि केन्द्रीय सरकार का मान्यता प्राप्त जैविक कृषि क्षेत्रीय उत्पादन तथा प्रमाणीकरण संस्था है के अन्तर्गत लाने के लिए एक योजना का प्रारूप केन्द्रीय सरकार से प्रायोजित योजना उतर पूर्व तथा हिमालयी क्षेत्रों के लिए उद्यान तकनीकी मिशन 2014–2016 प्रस्तुत किया है। इससे सम्बन्धित और अधिक जानकारी के लिए **www.apeda.com/npop** बैबसाइट पर सम्पर्क किया जा सकता है।

3. विभाग द्वारा किसानों को वितरित किये जा रहे कीटनाशक बाजार में बिकने वाले कीट नाशकों जितने उपयोगी तथा गुणकारी होते हैं। विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हर वर्ष किसानों को वितरित किये जाने वाले सरकारी तथा बाजार में वितरित कीटनाशकों का सैम्पल भर कर प्रयोगशाला में जॉच के लिए भेजा जाता है। विभाग के अधिकारी समय–समय पर बागवानों के बगीचों में जा कर विभाग द्वारा वितरित कीट नाशकों का सैम्पल भर कर प्रयोगशाला में जॉच के लिए भेजा जाता है। विभाग के अधिकारी समय–समय पर बागवानों के बगीचों में जा कर विभाग द्वारा वितरित कीट नाशकों से उत्पादित फसलों का निरीक्षण भी करते हैं।

विभाग द्वारा वितरित कीट नाशकों का क्रय निदेशालय स्तर पर विभिन्न जिलों की मांग के अनुसार किया जाता है। इन कीट नाशकों का क्रय हर वर्ष दर संविदा में अनुमोदित दर के अनुसार किया जाता है तथा यह भी सुनिशित किया जाता है कि कीट नाशक केन्द्रिय कीटनाशक बोर्ड द्वारा प्रमाािणित हो ऐसे किसी भी कीट नाशक तथा फफूंदनाशक दवाई की खरीद नहीं की जाती जो उक्त संस्था से प्रमाणित न हो।

(सम्बन्धित विभागः– उप–निदेशक कृषि विभाग कुल्लू/ उप– निदेशक उद्यान विभाग कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–10/दिनांक 31 जुलाई, 2013

श्रीमती निर्मला, मान्नीय सदस्या

1. हुरला कोटला पी0डब्लयू0डी0 मोटर योग्य सड़क की डी0पी0आर0 बनवाई गई थी जिसे कि विधायक निधि में पारित किया गया था। विभाग अवगत करवाऍ कि इस सड़क को बस योग्य कब तक बनाया जाएगा।

अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग कुल्लू मण्डल प्रथम विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि हुरला से कोटला सड़क के निर्माण बारे निजी भूमि व सरकारी भूमि को स्थानांतरण हेतू श्रीमती निर्मला महन्त मान्नीय सदस्या जिला परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 23.06.2014 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें भूमि मालिकों द्वारा सड़क का सर्वेक्षण पुरानी एलाईनमैंट से करने पर भूमिदान के लिए मना कर दिया गया जिसके उपरान्त मान्नीय सदस्या के परामर्श के अनुसार सड़क का सर्वेक्षण शमणी नामक स्थान से किया गया है जिसका लाईन प्लान बनाया गया है जिसकी प्रतिलिपी सहायक अभियन्ता बन्जार उप–मण्डल के पत्र संख्या द्वारा 1551–55 दिनांक 18.7.2014 सम्बन्धित पंचायत को नए सर्वे के अनुसार लोगों को भूमि दान करने बारे प्रेरित करने के लिए आग्रह किया गया है। परन्तु अभी तक निजी भूमि मालिकों के गिफट डीड के शपथ पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं जिसके बाद ही आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

मान्नीय सदस्य की सहमति से प्रस्ताव को समाप्त किया गया।

2. चनौन से कड़ाहिल की डी0पी0आर0 बनाई गई है। सड़क का कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा।

चनौन से कड़ाहिल सड़क के निर्माण बारे निजी भूमि व सरकारी भूमि को स्थानातरण हेतू श्रीमति निर्मला महन्त मान्नीय सदस्या जिला परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 23.06.2014 को 2:00 बजे अपराहन संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें निजी भूमि मालिकों से भूमि दान हेतू प्रेरित किया गया परन्तु अभी कोई भी सहमति पत्र प्राप्त नहीं हुए जिसके बाद ही आगामी कार्यावाही की जा सके।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त सड़क हेतू मौका करने के लिए व भूमि मालिकों से चर्चा हेतू तिथि निश्चित करें तथा सम्बन्धित पंचायत के प्रधान व जिला परिषद सदस्य तथा वे भूमि मालिक जिनकी भूमि सड़क में प्रयोग की जानी उन्हें बुलाया जाए ताकि मौके पर ही समस्या का समाधान हो सके।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम)

प्रस्ताव संख्याः– 21 दिनांक 31 जुलाई, 2013
समस्त पदाधिकारीगण
<u>ग्राम सभा की तिथि पंचायतों में अलग–अलग रखने बारे :–</u>

निदेशक पंचायती राज महोदय द्वारा अवगत करवाया गया है कि यह मामला विचाराधिन है तथा इस पर शीघ्र ही नई अधिसूचना जारी की जाएगी। अतः जैसे ही अधिसूचना में सुधार होता है तो इस कार्यालय को अवगत करवाया जाएगा। **अतः प्रस्ताव को सदन की सहमति से समाप्त किया गया।**

(निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–9)

प्रस्ताव संख्याः– 22/दिनांक 31 जुलाई, 2013
मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद
<u>जनेटिक बिमारी ''हिमोफीलिया'' के कारण आई शारीरिक आयोग्यता के आधार पर सरकारी पैंशन दिलाने बारे</u> :–

अतः प्रस्ताव को सदन की सहमति से समाप्त किया गया।

(सम्बन्धित विभागः– मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–05/दिनांक 25.11.2013
श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जि0प0
<u>डिपों होल्डरों को शार्टेज देने बारेः–</u>

मान्नीय सदस्य की सहमति से प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समाप्त किया गया।

(निजि सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2/ निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता ममले विभाग शिमला)

प्रस्ताव संख्याः– 06/दिनांक 22.11.2013
श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद्
<u>मान्नीय सदस्या द्वारा पूछा गया है किः–</u>

क. वर्षा होने पर मौहल और शमशी इलाके के गॉव में नलकों में गन्दा पानी आता है जोकि पीने योग्य नहीं होता। क्या विभाग ने स्टोर टैंक दोहरा नाला में पानी साफ करने के लिये वाटर फिल्टर का प्रबन्ध किया है ? यदि नहीं तो कब तक इलाके के लोगों को साफ पानी उपलब्ध करवाया जायेगा।
ख) इस योजना का कार्य वर्ष 2012–2013 में शुरू किया गया तथा अब तक किये गए कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत करें ?

अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वा0 विभाग मण्डल 2 स्थित भून्तर द्वारा अवगत करवाया गया कि गॉव मोहल और शमशी के लिए पानी मोहल गदोरी व

छयोल ज्योली पेयजल योजना से उपलब्ध करवाया जा रहा है। यहॉ पर बने फिल्टर बैड सुचारू रूप से चल रहे हैं। वर्तमान में जनसंख्या वृद्वि होने के कारण फिल्टर बैड की क्षमता से अधिक पानी उठाया जा रहा है उपरोक्त समस्या के निवारण हेतू उठाऊ पेयजल योजना, मोहल का निर्माण किया जा रहा है इसके अतिरिक्त यह अवगत करवाया जाता है कि पम्पिंग मशीनरी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और बिजली विभाग द्वारा बिजली का कुनेक्शन रिलीज होने पर इसकी टैस्टिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि इनके विभाग द्वारा बिजली का कुनेक्शन रिलीज किया जा चुका है।

अतः मान्नीय सदस्य ने सदन में विभाग का धन्यवाद किया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समाप्त किया गया।

(सम्बन्धित विभागः—अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन—स्वा0 विभाग मण्डल 2 भून्तर)

प्रस्ताव संख्याः— 07 / दिनांक 22.11.2013
श्री ओम प्रकाश शर्मा, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू
क. कुल्लू से बड़ोगी, भ्रैण, छमाहण, चतराणी, शागंचण के रूटों में नियमित रूप से बसे चलाने बारेः—

अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि कुल्लू से शांगचर तथा चतराणी मार्गों पर हिपपनि कुल्लू के द्वारा नियमित रूप से बस सेवाएं चलाई जा रही हैं जबकि बड़ोगी, त्रैहण तथा छमाहण के लिए वर्तमान में बसें आ चुकी हैं लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण सेवाएँ देना सम्भव नहीं है। अतः सदन में निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विभाग उप मण्डल अधिकारी (ना0) कुल्लू के साथ बैठक का आयोजन करवाएँ तथा मान्नीय सदस्य को भी बैठक में आमन्त्रित किया जाए।

ख. सड़क निर्माण के उपरान्त कितने वर्ष नियमित बस सुविधा हेतू लग जाते है ?

सड़क निर्माण तथा सड़क के संयुक्त निरिक्षण व सड़क के वाहन चलाए जाने व उपयुक्त पाये जाने पर तथा स्थानिय निवासियों की मांग के मध्यनजर पूर्ण विवरण मुख्य कार्यालय की स्वीकृती के लिए भेजा जाता है तथा स्वीकृती के उपरान्त रूट परमिट स्वीकृत होने पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया जाता हैं।

(सम्बन्धित विभागः—उप मण्डल अधिकारी (ना0) कुल्लू/ क्षेत्रिय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः—11 / दिनांक 25 नवम्बर, 2013
श्री बुद्वि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् कुल्लू,
तहसीलदार निवास स्थान के साथ के रास्ते को चौड़ा करने बारेः—

सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसीलदार कुल्लू के निवास स्थान के आगे काफी स्थान खाली पड़ा हुआ है जिसका कि कोई

सद्उपयोग नहीं हो रहा है। यदि इस स्थान की मैटलिंग की जाए तो काफी वाहनों को पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। सदन में समस्त पदाधिकारियों द्वारा इस पर सहमति प्रकट की गई। अतः सदन उपायुक्त कुल्लू को प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध करती है कि इस बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया है कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपायुक्त महोदय से चर्चा की गई है। यह एक रिहाईशी जगह है और वहॉ से तहसीलदार निवास के लिए भी रास्ता है और इस जगह को पार्किंग हेतू उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि वे इस सम्बन्ध में स्वयं मान्नीय उपायुक्त महोदय से चर्चा कर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न्न करेगें।

(सम्बन्धित विभागः– कार्यालय उपायुक्त)

प्रस्ताव संख्याः– 16/दिनांक 25 नवम्बर, 2013
श्री दिनेश सेन, सदस्य जिला परिषद् कुल्लू

<u>क. ट्रक यूनियन को बाशिंग में स्थान आबंटित करने बारेः–</u>

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू द्वारा प्राप्त विस्तृत रिर्पोट मान्नीय सदस्य को उपलब्ध करवाई गई जिससे मान्नीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हुए।

ख. बाशिंग क्षेत्र में एन0एच0–21 के किनारे पार्क किए जा रहे ट्रकों को हटाने बारेः– इस सम्बन्ध में पुलिस अधिक्षक महोदय को पत्र प्रेषित किया गया था किन्तु अभी तक ट्रक वहॉ ज्यों के त्यों पूर्ववत खड़े रहते है। इस सन्दर्भ में अभी तक इस बारे इन्हें वहॉ से क्यों नहीं हटाया गया ? विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

पुलिस अधिक्षक, कुल्लू ने अवगत करवाया है कि कार्यालय ग्राम पंचायत वाशिंग से प्राप्त शिकायत पत्र की जॉच यातायात पुलिस कुल्लू द्वारा अमल में लाई गई है। मुताविक रिपोर्ट, प्रभारी यातायात कुल्लू के माह जुलाई व अगस्त में वाशिंग में एन0एच0–21 पर सड़क के किनारे खड़े 75 ट्रकों के चालान किये हैं तथा उसके उपरान्त आज दिन तक 38 अन्य ट्रकों के चालान किये हैं जो कुल 113 ट्रकों के चालान किये गये हैं। दौराने जांच, जांच अधिकारी ने प्रधान व उपप्रधान ट्रक यूनियन कुल्लू तथा राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों से सम्पर्क करके भविष्य में एन0एच0–21 पर सड़क के किनारे ट्रकों को खड़ा न करने की हिदायत दी थी। इस सन्दर्भ में प्रभारी यातायात को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

अतः सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय अनुसार मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि वे इस सम्बन्ध में स्वयं मान्नीय उपायुक्त महोदय से चर्चा कर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न्न करेगें।

(सम्बन्धित विभागः– कार्यालय उपायुक्त कुल्लू/पुलिस अधिक्षक कुल्लू/ वन मण्डल अधिकारी कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या :–04 /दिनांक 25.03.2014
श्रीमती कीर्ति शौरी, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्
क. घियागी से सजवाड़ सड़क का कार्य पूर्ण करने तथा नाले पर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारेः–

सदन में उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि घियागी से सजवाड़ सड़क का कार्य जून 2015 तथा पुल का कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा।

ख) बठाहड़ मशियार सड़क का कार्य पूर्ण करने बारेः–

अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बठाहड़ मशियार सड़क का कार्य जून 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम)

प्रस्ताव संख्याः– 05 /दिनांक 25.03.2014
श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्

क. स्कूल भवनों को डिसमैंटल करने की क्या प्रकिया है, इसमें कितना समय लगता है, 31 दिसम्बर, 2013 तक कितने स्कूल भवनों को डिस्मैंटल किया जा चुका है और निकट भविष्य में कितने भवनों को इस प्रकिया के अधीन डाला गया है। डिस्मैंटल किये गये व किये जाने वाले भवनों की सूचि दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुल्लू जिला कुल्लू ने अवगत करवाया है कि स्कूल भवनों को डिस्मैंन्टल करने बारे सर्व प्रथम एस0एम0सी0 का प्रस्ताव व ए0ई0सर्वशिक्षा अभियान द्वारा स्कूल भवन का असुरक्षित प्रमाण पत्र तथा सर्वे रिर्पोट दी जाती है उसके उपरान्त इस कार्यालय द्वारा स्कूल भवन को डिसमेंटल करने की अनुमति उपायुक्त कुल्लू से ली जाती है। समय सीमा कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है। 31 दिसम्बर 2013 तक 16 स्कूल भवन को डिसमेंटल किया जा चुका है। रा0प्राथ0 पाठशाला नरोगी, सरसेई, आखाड़ा बाजार, ठैला, सजवाड़, खलोगी, पनीहार, खनाग, बेधार, पेखरी–1, तिन्दर, सचाणी, फवयारी, रशोल, कशेरी, भूमतीर, रूआड़, नगोठी इत्यादि। निकट भविष्य में खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से असुरक्षित भवनों के मामले कार्यालय को प्रस्तुत होगें तो प्रकिया में डाला जाएगा।

मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि फवयारी को असुरक्षित घोषित नहीं किया गया है।

ख. प्राथमिक पाठशाओं और उच्च पाठशालाओं में डैस्क खरीदने की क्या प्रकिया है, इसमें कितना समय लगता है, वर्ष 2005 से वर्ष 2013 तक कितने डैस्क विभाग द्वारा खरीदे गये, इसकी पूरी सूचि स्कूलों से नाम के साथ लिखित में प्रस्तुत करे।

उप–शिक्षा निदेशक (उच्च) कुल्लू ने अवगत करवाया है कि इस कार्यालय से उच्च पाठशालाओं के लिए डेस्क नहीं खरीदे जाते हैं ? प्राथमिक स्कूलों के लिए भी सिर्फ बजट का प्रावधान सिर्फ उन्हीं पाठशालाओं के लिए है जो कि पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत आते हैं। जिसकी स्वीकृति 2012 तक जिलाधीश के माध्यम से दी जाती थी तथा अब निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा शिमला से होती है। अन्य स्कूलों के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है। 2005 से 2013 तक जिन स्कूलों को डेस्क दिए गए हैं उसकी सूचि मान्नीय सदस्य को दी गई है।

स्कूल भवनों को डिसमैंटल करवाने के लिए स्कूलों के मुख्यों द्वारा लोक निर्माण विभाग को भवन की परिस्थिति को देखने के लिए उन्हें सूचित किया जाता है, उसके उपरान्त उक्त विभाग द्वारा स्कूल भवन का निरिक्षण किया जाता है उसकी रिर्पोट स्कूलों के मुख्यों को दी जाती है।

यदि भवन गिराने योग्य है, तो उसकी स्वीकृति के लिए उपायुक्त महोदय को केस भेजा जाता है। उसके उपरान्त अगर भवन गिराने योग्य है, तो उसकी स्वीकृति उपायुक्त महोदय द्वारा स्कूल के मुख्यों को दी जाती है।

उक्त प्रक्रियाओं के उपरान्त स्कूलों के मुख्यों द्वारा पुनः भवन को गिराने के लिए लोक निर्माण विभाग को केस भेजा जाता है तथा उसके बाद ही स्कूल भवन को गिराया जाता है। जी0एस0एस0एस0 भूटठी, जी0एस0एस0एस0 जलूग्रां, जी0एच0एस0 डुघीलग, जी0एस0एस0एस0 कुल्लू(बी0), जी0एस0एस0एस0 भल्याणी, जी0एस0एस0एस0कोटला, जी0एस0एस0एस0 भून्तर के भवनों असुरक्षित घोषित किया गया है।

डैस्क को सरकार द्वारा अनुमोदित रेट कोन्ट्रेक्ट/सरकारी एजेन्सी के माध्यम से खरीदा जाता है। जिन पाठशालाओं के लिए डैस्क खरीदे गए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से हैः– **जी0एस0एस0एस0** बरशैणी,कुगॅश,चनौन, छमाहण,अर्सू, कुगॅश, दलाश, बुच्छैहर, डीम, बुच्छैहर, थाटीबीड़, बागीपुल, डिगेढ़, खरगा, खुन्न, जाओं, तांदी, लगौटी, लूहारी, शारवी, शवाड़ कुशवा, शैंशर, बटाहड़,बागीपुल, आनी, शांलग, देउगी, निरमण्ड, **जी0एच0एस0** कुटवा, दुराह, शवाड़, तुनन, सरगा, तवार, कशोली, सराहन, कोठी, सुश, बरशैणी, शैंशर, छमाहण, जाओं, रन्दल, **जी0एम0एस0** जटेड़, गाड़, तवार, जिन्दौड़, पीनिहार, नम्होंग, बयाल, कोइल, निमला, शवाड़, शुश।

अतः विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समस्त विभाग इस सम्बन्ध में बैठक रखे जिसमें मान्नीय सदस्य को भी आमन्त्रित किया जाए।

(सम्बन्धित विभागः–उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व उच्च शिक्षा/ प्रधानाचार्य, सर्व शिक्षा अभियान जरड)

प्रस्ताव संख्या :– 06 /दिनांक 25.03.2014

क. भून्तर में उप कोषागार खोलने बारेः–

जिला कोषाधिकारी कुल्लू द्वारा गत बैठक में सदन को विस्तार पूर्वक अवगत करवाया गया था जिस सन्दर्भ में मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि

भून्तर में भी कोषागार खोला जाना अति आवश्यक है। क्योंकि भून्तर की स्थानीय जनता को चलान व हाई वेलयू स्टेट के लिए कुल्लू आना पड़ता है। जिससे कि लोगों को अधिक समय लगता है और इन्हें असुविधा भी हो रही है। अतः सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से पुनः अनुरोध किया कि वे तहसील भून्तर में उपकोषागार कार्यालय खोलने की अनुकम्पा करें।

सम्बन्धित विभागः—जिला कोषाधिकारी कुल्लू/जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू/ निजि सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2

प्रस्ताव संख्याः—07 /दिनांक 25.03.2014
श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद्
क. गॉव पनोगी जो कि बाराहार पंचायत में पड़ता है। सड़क निकलने के बाद इस गॉव में भू—स्खलन होने के कारण कुछ घरों में दरारें भी आई है और कुछ लोगों के बगीचे भी नष्ट हो गये हैं अधिक वर्षा होने पर पूरे गॉव को धंसने का खतरा है। क्या विभाग के पास गॉव को बचाने का कोई प्रावधान है।

अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग कुल्लू ने अवगत करवाया है कि श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद के सहयोग से लोग डंगा लगाने के लिए अपनी अतिरिक्त भूमि देने को तैयार हो गए हैं और विभाग द्वारा इस कार्य के लिए टैण्डर भी कर दिए गए हैं और अब बरसात का मौसम भी थम गया है और ठेकेदार द्वारा कार्य करने के लिए पत्थर भी इक्टठे करने शुरू कर दिए गए है और शीघ्र ही कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

अतः प्रस्ताव को मान्नीय सदस्य की सहमति से सर्वसम्मति से समाप्त किया गया।

(सम्बन्धित विभागः—अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम)

प्रस्ताव संख्याः— 08 /दिनांक 25.03.2014
श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद्
पेड़ों को सुरक्षित रखने व घास को बचाने हेतू विभाग द्वारा ठोस कदम उठाने बारेः—

मान्नीय सदस्या द्वारा पूछा गया कि हर वर्ष गॉव में घास लगाने के लिये कई देवदार व कायल के पेड़ काटे जाते हैं और वह 2 व 3 वर्ष ही चलते हैं जिससे कई पेड़ कटते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। क्या विभाग द्वारा इन पेड़ों को बचाने के लिए व घास को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

वन मण्डल अधिकारी कुल्लू ने अवगत करवाया कि घास लगाने के लिये लोहे की गाडर या पाईप उपलब्ध करवाने बारे मामला इनके काय्रालय के पत्र संख्या 5133 दिनांक 22.9.2014 उच्च कार्यालय को भेजा गया है। जैसे यह मामला इस कार्यालय को प्राप्त होगा तो अवगत करवाया जाएगा।

(सम्बन्धित विभागः—वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः—10 /25.03.2014
श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्या जिला परिषद्
जिला योजना समिति की बैठक का अयोजन करने बारेः—

मान्नीय सदस्य जिला परिषद द्वारा चाहा गया कि जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया जाना अति आवश्यक है क्योंकि कई वर्षों से जिला योजना समिति की बैठकें निर्धारित नहीं की गई हैं। यदि यह बैठक करवाई जाती है तो जनहित के कई रूके हुए कार्यों को आरम्भ किया जा सकता है।

अतः सदन के आग्रह पर मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मान्नीय अध्यक्ष जिला योजना समिति से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध किया गया कि वे बैठक का आयोजन करने हेतू सम्बन्धित विभाग व सचिव जिला योजना समिति को निर्देश जारी करें ताकि गत वर्षों से रूके हुए कई प्रस्तावों का पुनः अवलोकन किया जा सके।

(सम्बन्धित विभागः— सचिव, जिला योजना समिति एवं उपायुक्त कुल्लू/ सहायक सचिव, जिला योजना समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः— 12 /दिनांक 25.03.2014
श्री बुद्वि सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्
ख. भून्तर (पी0एच0सी0) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए एक होमगार्ड के जवान की तैनाती की जाए।

सदन में मान्नीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा, द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि वे आर0के0एस0 की बैठक में इस मामले का सुलझाने का प्रयास करेगें। मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए की आर0के0एस0 के तहत एक होमगार्ड की नियुक्ति करें। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू द्वारा इनके कार्यालय की शाशनिकाय (Governing Body) की बैठक में इस समस्या का समाधान करें तथा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में इस कार्यालय को सूचित करें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

सदन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि आर0के0एस0 की बैठक में इस मामले को सुलझाया जा सकता है। अतः सदन में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय उपरान्त मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू का निर्देश दिए गए कि वे इस मामले को आर0के0एस0 भून्तर की बैठक में इस योजना को स्वीकृत करवाएँ ताकि भून्तर (पी0एच0सी0) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों की सुरक्षा हेतू होमगार्ड की नियुक्ति हो जाए।

(सम्बन्धित विभागः— श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य जिला परिषद / मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः– 16/दिनांक 25.03.2014
मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद्
क. मनाली शहर के सौन्दयकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारेः–

अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वा0 मण्डल कुल्लू ने अवगत करवाया है कि विभाग द्वारा मनाली शहर में चैम्बर बनाने व पानी की पाईप लाईनें बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

अधिशाषी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न0 –2 ने अवगत करवाया है कि मनाली शहर के सौन्दर्यकरण का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। 30.9.2014 तक इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग कुल्लू/ अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत विभाग मनाली)

ख. दुआड़ा मेहा, भूझणू सड़क को चौड़ा तथा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारेः–

अधिशाषी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न0 –2 ने अवगत करवाया है कि दुआड़ा से मेहा सड़क का निर्माण वन विभाग के अधीन है। अभी यह सड़क वन विभाग द्वारा, लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई है।

वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू वन मण्डल कुल्लू, ने अवगत करवाया है कि दुआड़ा–मेहा सड़क भी वन विभाग द्वारा निर्मित जीप योग्य सड़क है। यह दुआड़ा–मेहा सड़क जीप योग्य सड़क है। यह दुआड़ा–मेहा सड़क जीप योग्य सड़क 1993–94 में वन विभाग द्वारा 6.850 कि0मी0 बनाई गई है। वर्ष 2012–13 में इस सड़क की मुरम्मत के लिये 4 लाख रू0 खर्च किये गये थे। इस सड़क पर गाडियॉ चल रही है। इस सड़क की मैटलिंग नहीं हुई है। मैटलिंग का कार्य भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एफ0सी0ए0, 1980 लागू होता है।

इस सम्बन्ध में यह भी सूचित किया जाता है कि दुआड़ा मेहा सड़क को लोक निर्माण विभाग को सौंपने या स्थानान्तरण बारें में कोई भी मामला इस कार्यालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे यह मामला इस कार्यालय को प्राप्त होगा इस पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी।

(सम्बन्धित विभागः– अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल न0 02/ वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–02/दिनांक 20 जून, 2014
श्री तेज राम, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् कुल्लू

1. मान्नीय सदस्य जिला परिषद् द्वारा पूछा गया कि आनी से जो दलाश विद्युत लाईन विछाई गई है इसे अलग किया जाए क्योंकि यह मण्डी/करसोग डिविजन में पड़ता है। इस लाईन के जुड़े रहने से इनकी विद्युत आपूर्ति बारम्बार बाद्यित हो

रही है। जिससे यहाॅ के स्थानीय जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मण्डी/करसोग डिविजन की विद्युत व्यवस्था को अलग किया जाए। इस लाईन को करसोग से जोड़ा जा सकता है। नगान से फिटर को अलग किया जाए।

अधिशाषी अभियन्ता, द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्माणाधीन 66/22 के0वी सव–स्टेशन नगान के पूर्ण रूप से तैयार होने पर दलाश फीडर स्वतः ही स्वतन्त्र हो जाएगा।

2. मान्नीय सदस्य जिला परिषद् द्वारा पूछा गया कि दलाश में 100 के0वी0ए0 का ट्रास्फार्म लगा है। इसके स्थान पर विद्युत विभाग ने 250, के0वी0ए0 का ट्रास्फार्म स्वीकृत किया था। जो 2012 को लगना था। वह आज तक भी नहीं लगा ऐसा क्यों ?

अधिशाषी अभियन्ता, द्वारा अवगत करवाया गया कि दलाश में 100 के0वी0ए0 के स्थान पर 250 के0वी0ए0 का ट्रास्फार्मर पिछले माह (अगस्त, 2014) को लगा दिया गया है।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत विभाग आनी जिला कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–03/दिनांक 20 जून, 2014
श्री तेज राम कश्यप, मान्नीय सदस्य जिला परिषद

मान्नीय सदस्य जिला परिषद् द्वारा पूछा गया कि खेगसू में रेत की खान है, उसे सरकार ने बन्द कर रखा है। यहाॅ से झाकड़ी प्रोजैक्ट को भी रेत जाता था। यहाॅ से रेत ले जाने की स्वीकृती सरकार ने बन्द की है फिर भी यहाॅ अवैघ रूप से खनन हो रहा है। जिसकी दर 2500 रूपये प्रत्येक गाड़ी है। कारण स्पष्ट करें ?

जिस पर वन मण्डल अधिकारी आनी द्वारा अवगत करवाया गया कि जब भी स्थानीय पदाधिकारियों व आम जनता द्वारा सूचित किया गया तो उसी दौरान अवैध रूप से हो रहे खनन को रोका गया तथा 76 केस इनके विभाग द्वारा किए गए है और निकट भविष्य में जब भी अवैध खनन होगा तो दोषी के विरूद कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

अतः मान्नीय सदस्य की सहमति से प्रस्ताव को समाप्त किया गया।

(सम्बन्धित विभागः–वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल आनी/ माईनिंग विभाग, वन विभाग लूहरी)

प्रस्ताव संख्याः–04/दिनांक 20 जून, 2014
श्री दिनेश सेन, अध्यक्ष जिला परिषद्
<u>लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के नजदीक के गोडाउन का स्थान परिवर्तित करने बारेः–</u>

सदन में मान्नीय सदस्य श्री दिनेश सेन जी द्वारा अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के पास के गोडाउन के कारण यातायात की सुविधा में पेरशानियाॅ आ रही है जिस कारण की कई बार भारी ट्रैफिक की समस्या सामने

आई है। यदि इस गोडाउन का स्थान परिवर्तित किया जाए तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम ने उनके कार्यालय पत्र संख्या 13638–39 दिनांक 22.9.2014 के अन्तर्गत उपायुक्त महोदय को लिखा है कि लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के नजदीक के गोडाउन का स्थान परिवर्तित करने बारे विभाग को कोई समस्या नहीं है। यदि स्टोर निर्माण हेतू विभाग को भूमि उपलब्ध करवाई जाए तो वह उनका गोडाउन का स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बजट का प्रावधान भी करवाया जाए तो इसके पश्चात् उच्च अधिकारियों को अनुमति प्रदान करने के लिए पत्र लिखा जाएगा।

सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेने उपरान्त मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे नए स्टोर के लिए स्थान का प्रबन्ध तथा स्टोर का निर्माण करने हेतू सारी औपचारिकताऍं विभाग स्वयं पूर्ण करें तथा उसके उपरान्त ही वे उनके उच्च कार्यालय से नए स्टोर हेतू भूमि तथा निर्माण कार्यों हेतू बजट प्राप्ति हेतू अनुरोध करे तथा इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें।

(सम्बन्धित विभागः– अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम)

प्रस्ताव संख्याः–05 / दिनांक 20 जून, 2014
श्री बुद्वि सिंह, सदस्य जिला परिषद्
<u>तहसील भून्तर में नाईव तहसीलदार तथा तहसील कुल्लू में नाईव तहसीलदार के पद भरने बारेः–</u>

सदन में मान्नीय सदस्य श्री बुद्वि सिंह जी द्वारा अवगत करवाया गया कि भून्तर को तहसील बनाकर लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है लेकिन नाईव तहसीलदार न होने के कारण स्थानीय जनता के कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त तहसील कुल्लू में भी नाईव तहसीलदार का पद रिक्त है।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि तहसील कुल्लू व भून्तर में नाईव तहसीलदार के रिक्त पदों को भरने की अनुकम्पा करें ताकि स्थानीय जनता की परेशानियों को कम किया जा सके।

(सम्बन्धित विभागः– निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला)

प्रस्ताव संख्याः–06 / दिनांक 20 जून, 2014
<u>विकास खण्ड कुल्लू में लेखापाल की भर्ती करने बारेः–</u>

सदन में जब खण्ड विकास अधिकारी द्वारा 13वां वितायोग की रिर्पोट प्रस्तुत की गई तो उन्होंने सदन से आग्रह किया और स्पष्ट किया कि विकास खण्ड कुल्लू में 70 पंचायतें है और मात्र एक लेखापाल है जो कि 70 पंचायतों का कार्यभार सम्भाल रहा है। इसके अतिरिक्त जिला परिषद का 13वां वितायोग के बजट का लेखा एवं प्रविष्टियॉं तथा

खाता खतौनी, पंचायत समिति के बजट का लेखा एवं प्रविष्टियॉ तथा खाता खतौनी, समिति निधि या अन्य निधियों का लेखा एवं प्रविष्टियॉ तथा खतौनी का कार्य मात्र 1 लेखापाल द्वारा किया जा रहा है। यदि 70 पंचायतों पर 1 और लेखापाल हो तो कार्य को सम्पन्न करवाने पर कठिनाई नहीं होगी।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से पुनः अनुरोध किया गया कि विकास खण्ड कुल्लू की गम्भीर समस्या को देखते हुए विकास खण्ड कुल्लू में लेखापाल का रिक्त पद शीघ्र अति शीघ्र भरने की अनुकम्पा करें ।

(निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2)

प्रस्ताव संख्याः–07 / दिनांक 20 जून, 2014
समस्त पदाधिकारीगण जिला परिषद् कुल्लू
<u>विकास खण्ड कुल्लू को 2 भागों में विभाजित करने बारेः–</u>

सदन द्वारा मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय का भून्तर को तहसील का दर्जा देने हेतू आभार प्रकट किया गया और यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि विकास खण्ड कुल्लू में 70 पंचायतें है और विकास खण्ड नगर में 40, विकास खण्ड बन्जार में 36, विकास खण्ड आनी में 32 तथा विकास खण्ड निरमण्ड में 26 पचायतें हैं। जिसमें कि सबसे बड़ा खण्ड (Block) विकास खण्ड कुल्लू है जिसमें में 70 पंचायतें है तथा 70 पंचायतों का कार्यभार सम्भालना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि 13वां वितायोग के कार्यों सम्बन्धित तथा मनरेगा सम्बन्धित कर्मचारी 70 पंचायतों हेतू 1 है जिस कारण कि जिला परिषद के जनहित के कार्यों को पूर्ण करवाने में बाधा उतपन्न हो रही है। यदि 70 पंचायतों में से कार्यक्षेत्र के अनुसार उसका एक अन्य विकास खण्ड भून्तर बनाया जाए या इसे 2 भागों में विभाजित किया जाए तो कार्यों को सुगमता से सम्पन्न किया जा सकता है।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया गया कि विकास खण्ड कुल्लू को 2 भागों/ खण्डों में विभाजित करने की अनुकम्पा करें ।

(निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2)

प्रस्ताव संख्याः–08 / दिनांक 20 जून, 2014
मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद कुल्लू।
<u>पी0ई0ए0आई0एस0 के अन्तर्गत विभागीय दल गठित करके उनसे मूल्यांकन करवाने बारेः–</u>

अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि इस वर्ष पी0ई0ए0आई0एस0 के मुल्यांकन हेतू जिस संस्था को कार्य सौंपा गया था उस द्वारा कार्य पारदर्शिता से नहीं किया तथा जिला कुल्लू जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया उसे तीसरा स्थान दे दिया गया इस विषय पर जब अध्यक्ष जिला परिषद तथा मान्नीय सदस्य श्री ओम प्रकाश द्वारा केन्द्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा विभागीय अधिकारियों के समक्ष

विरोध प्रकट किया गया तो विभाग द्वारा पुनः मूल्यांकन हेतू विभागीय दल भेजे गए उन द्वारा मूल्यांकन करने पर जिला कुल्लू प्रथम स्थान पर रहा।

सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार से यह अनुरोध किया जाए कि भविष्य में जब भी पी0ई0ए0आई0एस0 के मूल्यांकन का कार्य हो तो गत वर्ष भेजी गई संस्थाएकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान, शिमला (आई0आई0आर0डी0) से यह कार्य न करवाए और इस संस्था को ब्लैक लिस्ट किया जाए तथा इसके लिए विभागीय दल गठित करके उनसे यह कार्य करवाया जाए ताकि इसमें पारदर्शिता रहे।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि जिस संस्था को ब्लैक लिस्ट हेतू आग्रह किया गया था उस संस्था को ब्लैक लिस्ट किया गया है। **अतः सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को समाप्त किया गया ।**

**(सम्बन्धित विभागः—मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार/
मान्नीय पंचायती राज मन्त्री/
निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश)**

प्रस्ताव संख्याः— 11/दिनांक 20 जून, 2014
श्री मेहर सिंह ठाकुर, अध्यक्ष पंचायत समिति कुल्लू
<u>पुल एन0एच0 पिरडी तलोगी के पास मुरम्मत करने बारे</u>

सदन में पंचायत समिति अध्यक्ष द्वारा अवगत करवाया गया कि पिरडी तलोगी के पास एन0एच0 का एक पुल बना है। यह पुल बहुत खराब अवस्था में है। इस पुल पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसे मुरम्मत करवाया जाना अति आवश्यक है।

सदन में अध्यक्ष महोदय द्वारा यान्त्रिक विभाग शमशी के अधिशाषी अभियन्ता को निर्देश दिए गए कि वे शीघ्र इस पुल का प्राक्कलन तैयार कर इसकी मुरम्मत का कार्य करने हेतू आगामी कार्यवाही अमल में लाएँ।

(सम्बन्धित विभागः—अधिशाषी अभियन्ता, यान्त्रिक लोक निर्माण विभाग शमशी)

प्रस्ताव संख्याः— 12/दिनांक 20 जून, 2014
सदस्य पंचायत भवन सरवरी कुल्लू
<u>पंचायत भवन कुल्लू तथा पंचायत भवन सरवरी के लिए फर्नीचर क्रय करने बारेः—</u>

सदन में चर्चा की गई, चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि पंचायत भवन मनाली के लिए जिस एजेन्सी से निविदा अनुमोदन व क्रय कमेटी के बाजार सर्वे के आधार पर फर्नीचर क्रय किया गया था उसी एजेन्सी से पंचायत भवन कुल्लू के लिए उसी गुणवता का आवश्यक सामान क्रय किया जाए। इस सम्बन्ध में सदन में निर्णय लिया गया कि क्रय कमेटी के सदस्य फर्नीचर का निरीक्षण करेगें। इसके अतिरिक्त 2 न0 तथा अन्य सामान विश्राम गृह के लिए जो आवश्यक है, क्रय कमेटी बाज़ार के सर्वे के आधार पर, कम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म से क्रय करेगी। एक्वागार्ड पंचायत भवन सरवरी व ढालपुर के लिए पूर्व में अनुमोदित एजेन्सी से अनुमोदित दरों पर क्रय किया जाए। पंचायत भवन कुल्लू में 3 ए0सी0 तथा उद्घाटन पटिटका लगाने की स्वीकृती प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त सदन में पंचायत भवन सरवरी के हाल के सम्बन्ध में चर्चा की गई कि हाल का जब से नव निर्माण किया गया है। हाल का आज दिनांक तक आरक्षण नहीं हुआ है। सदन द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि हाल का निलाम किया जाए। इस कार्य के लिए सचिव जिला परिषद को अधिकृत किया गया।

(सम्बन्धित विभागः—सचिव पंचायत भवन सरवरी कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः—14/दिनांक 20 जून, 2014
समस्त जिला परिषद सदस्य
13वां वितायोग के कार्यों की समीक्षा व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने बारेः—

बैठक में चर्चा की गयी कि जिला परिषद द्वारा 13वां वितायोग के अन्तर्गत जो राशि विकास खण्डों को विकासात्मक कार्यों हेतू निर्मुक्त की जा रही है उस राशि का व्यय स्वीकृत कार्यों पर समय से नहीं हो रहा है जिस कारण 13वां वितायोग के अन्तर्गत लम्बित पड़े कार्यों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। जिला परिषद सदस्यों ने सदन में अवगत करवाया कि स्वीकृत कार्यों के प्राक्कलन समय से तकनीकी स्टाफ द्वारा समय से उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तथा तकनीकी जानकारी देने के लिए तकनीकी स्टाफ समय से उपलब्ध नहीं होते हैं। निदेशालय से प्राप्त जानकारी अनुसार भविष्य में जिला परिषद द्वारा तब तक 13वां वितायोग के अन्तर्गत शैल्फ पारित नहीं की जाएगी। जब तक उस कार्य का प्राक्कलन तैयार कर नहीं लिया जाता है तथा प्राक्कलन आधार पर ही राशि स्वीकृत की जाएगी। इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने सचिव जिला परिषद को निर्देश दिए कि वह सभी विकास खण्डों के तकनीकी स्टाफ के साथ 13वां वितायोग के कार्यों की समीक्षा हेतू बैठक निश्चित करे ताकि लम्बित पड़े कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके या समुचित कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

(सम्बन्धित विभागः—सचिव, जिला परिषद कुल्लू/
समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः—15/दिनांक 20 जून, 2014
समस्त सदस्य जिला परिषद कुल्लू
जिला परिषद् अध्यक्ष को नया वाहन उपलब्ध करवाने बारेः—

बैठक में विचार—विमर्श किया गया कि जिला परिषद अध्यक्ष कुल्लू को विभाग द्वारा जो गाड़ी आबंटित की गई है वह अकस्मात बार—बार खराब हो रही है। वर्तमान में भी जिला परिषद को आबंटित गाड़ी का ईंजन सीज हो गया है। इस संदर्भ में पूर्व में जिला परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निदेशक पंचायत राज विभाग ने कार्यालय पत्र सं0 पी0सी0एच—एच सी (1) 1/2014—50394 दिनांक 22 फरवरी 2014 के अंतर्गत गाड़ी के विषय में सूचना भी मांगी गई थी जो कि इस कार्यालय के पत्र सं0 33 दिनांक 24 अप्रैल 2014 द्वारा भेजी गई है। यह गाड़ी दिनांक 08 जुलाई 2006 को खरीदी गयी है, इसकी क्रय कीमत मु0 469589/—रूपये है। अब तक यह 190733 कि0मी0 की चल चुकी है। वाहन की मुरम्मत पर अब तक मु0 351539/— रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है तथा इसकी माईलेज 7.01 कि0मी0 है। प्रत्येक वर्ष इस पर मुरम्मत का व्यय बढ़ रहा है।

जिला परिषद कुल्लू को इस वर्ष भी लगातार तीसरी बार पी0ई0ए0आई0एस0 के अंतर्गत मु0 50 लाख रूपये की राशि ईनाम के तौर पर प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में सदन मांग करती है कि जिला परिषद कुल्लू को नयी गाड़ी उपलब्ध करवाई जाए। ईनाम की राशि में से या जिला परिषद निधि से मु0 2292398/– रूपये है से नया वाहन खरीदने की अनुमति प्रदान की जाए।

(सम्बन्धित विभागः–मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–02/ मान्नीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला–02)

प्रस्ताव संख्याः–16/दिनांक 20 जून, 2014
समस्त सदस्य जिला परिषद कुल्लू
<u>13वां वितायोग के अंतर्गत जिला परिषदों को आबंटित राशि के बारे में :–</u>

सदन में विचार विमर्श किया गया कि जिला परिषदों को 13वां वितायोग के अंतर्गत जो राशि आंबटित की जा रही है उसको निर्मुक्त करने के लिए विभाग द्वारा जारी पत्र द्वारा आगामी दिशा निर्देश प्राप्त होने तक रोक लगा दी गई है तथा समाचार पत्रों के अनुसार जिला परिषदों को 13वां वितायोग के अंतर्गत जो राशि आंबटित की जाती है उसके अनुपात में 20 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। इसका जिला परिषद विरोध करती है क्योंकि 13वां वितायोग के लिए अब अतिरिक्त एक वर्ष ही शेष है जिला परिषद सदस्यों ने गत वितीय वर्ष 2013–14 में 13वां वितायोग के अंतर्गत प्राप्त राशि के आधार पर ही वितीय वर्ष 2014–15 के लिए आवश्यक कार्य योजनाओं के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित की हैं तथा जनता को इन जनहित की कार्य योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आश्वस्त किया है। यदि 13वां वितायोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि में कटौती की जाती है उन कार्य योजनाओं को पूर्ण करने में सफल नहीं हो पाएंगे जिसका कि जनता के बीच जिला परिषद सदस्यों का एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जो राशि जिला परिषद को निर्मुक्त की जा चुकी है उसे जारी करने के तुरन्त निर्देश दिए जाएं क्योंकि कुछ कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए सदस्यों ने अगली किश्त जारी करने का आश्वासन जनता को दिया है तथा अन्य कार्यों हेतू भी सदन द्वारा प्रस्तावनाएँ पारित की जा चुकी हैं। इस संदर्भ में सदन मांग करती है कि पूर्व अनुपात आबंटन के अनुसार ही जिला परिषदों को शीर्ष 13वां वितायोग के अनुसार राशि आबंटित की जाए तथा यदि मनरेगा convergance के लिए 20 प्रतिशत राशि को खर्च किया जाना है तो उस राशि को आबंटन मनरेगा कार्यों के लिए भी जिला परिषद के माध्यम से होना चाहिए।

(सम्बन्धित विभागः–मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–02/ मान्नीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला–02)

प्रस्ताव संख्याः— 17 / दिनांक 20 जून, 2014
समस्त पदाधिकारीगण
<u>जिला परिषद सचिव तथा स्टाफ को एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि व पदोन्निति प्रदान करने बारेः—</u>

सदन में समस्त सदस्यों द्वारा यह अवगत करवाया गया कि जिला परिषद के अधिकारी व स्फॉफ का कार्य अति प्रशंसनीय है जिसके कारण जिला परिषद लगातार तीन बार राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार पाने में समक्ष हुई है। इसके अतिरिक्त मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हि0प्र0 सरकार द्वारा भी गत वर्ष 15 अगस्त के पावन अवसर पर जिला परिषद को एक लाख रू0 के पुरस्कार से नवाजा गया है। इसलिए जिला परिषद के अधिकारी व स्टॉफ को उनके पद पर पदोन्निति तथा एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि इनाम के तौर पर दी जानी आवश्यक है ताकि जिला परिषद के अधिकारी यव स्फॉफ के मनोबल में बढौतरी हो तथा आगामी भविष्य में और अधिक सराहनीय कार्य करें। इस संदर्भ में जिला परिषद ने जिला कुल्लू के विधायकों की उपस्थिति में पूर्व में तीन बार प्रस्ताव पारित किए हैं। समस्त सदस्य जिला परिषद ने सचिव एवं उनके दिशा निर्देशों पर कार्य कर रहे स्टाफ की सराहना की। सचिव जिला परिषद की नई सोच एवं योजनाएँ परिषद को सम्मान दिलाने में अहम है जिसमें कि उन द्वारा जिला परिषद की अपनी **web Site** को **design** करना भी महत्वपूर्ण कदम है।

इस पर उपाध्यक्षा जिला परिषद ने भी जिला परिषद के अधिकारी व स्टाफ की कार्यों की सराहना की। यह अवगत करवाया कि वह पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवाएँ दे रही हैं और भविष्य में भी अपनी सेवाएँ देती रहेगीं। पिछले कुछ वर्षों से जिला परिषद के वेहतरीन अधिकारी व स्टॉफ के कारण कार्यों में पारदर्शिता आई है तथा कार्यों को निपुणता से निभाया गया जिस कारण कि जिला परिषद को लगातार तीन बार पी0ई0ए0एस0 के अन्तर्गत जिला परिषद कुल्लू को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सदन के इस निर्णय से मान्नीय सदस्य अत्यधिक सन्तुष्ट हुए और कहा कि जिला परिषद के सचिव व स्टाफ को उनके पद पर पदोन्निति तथा एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि मिलने पर मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार से निदेशक पंचायती राज हिमाचल प्रदेश शिमला—09 तथा सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश शिमला —02 के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि सदन की इस मांग को शीघ्र पूर्ण कर जिला परिषद स्टाफ के मनोबल को बढ़ाने में जिला परिषद का सहयोग करें ताकि आने वा.ले भविष्य में जिला परिषद की और अहम भूमिका हो।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला परिषद को जो इनाम मिला है इसके हकदार जिला परिषद के सचिव व स्टाफ है क्योंकि तीन बार एक जिला परिषद् को ईनाम मिलना जिला परिषद के लिए अपने आप में ही एक गौरवमयी सूचक है। जिला परिषद कुल्लू ने हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की पंचायती राज संस्थाओं में नाम रोशन किया है। जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। इसका श्रेय मैं जिला परिषद सचिव व स्टाफ को पूर्ण रूप से प्रदान करता हूँ। जिला परिषद सरकार से मांग करती है कि सचिव जिला परिषद को उनके पद पर

पदोन्निति प्रदान की जाए ताकि वह और उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं व सोच से प्रदेश को योगदान दे सकें। जिला परिषद को अपनी निधि से या ईनाम से प्राप्त राशि से अपने स्टाफ को नकद ईनाम देने की अनुमति भी प्रदान की जाए।

(सम्बन्धित :– मान्नीय मुख्यमन्त्रीमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
सचिव, पंचायती राज विभाग शिमला–2 /
निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–09)

दिनांक 24 सितम्बर, 2014 की जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में पारित प्रस्ताव बारेः–

प्रस्ताव संख्याः– 01 / 24.9.2014
<u>आय–व्यय पारित करने बारेः</u>–

आय–व्यय दिनांक 01.06.2014 से 31.8.2014 पंचायत भवन सरवरी

आय	राशी	व्यय	राशी
कमरों का किराया	164700	केवल बिल	1000
दुकानों का किराया	69319	बिजली बिल	10431
		ड्राईकलीन बिल	14095
		टेलिफोन बिल	1293
		विविध	2321
		उद्घाटन समारोह पर खर्च	1945
		पानी बिल	515
		अग्रिम अदायगी वर्दी	6000
		वेतन पंचायत भवन कर्मचारी	51773
		उद्घाटन समारोह प्लेट	10500
		पाईप लाईन	1163
		ड्रेन पंचायत भवन सरवरी	3595
योग	234019	योग	104631

आय–व्यय दिनांक 01.06.2014 से 31.8.2014 पंचायत भवन मनाली

आय	राशी	व्यय	राशी
कमरों का किराया	217900	केवल बिल	4000
		बिजली बिल	10211
		ड्राईकलीन बिल	5212
		टेलिफोन बिल	2023
		विविध	3168
		रोड़ मुरम्मत पर खर्च	14000
		पानी बिल	2236

		वेतन पंचायत भवन कर्मचारी	64707
योग	217900	योग	105557

आय–व्यय दिनांक 01.06.2014 से 31.8.2014 13वां वितायोग जिला परिषद

आय	राशी	व्यय	राशी
अनुदान प्राप्त	9322260	टेक्स बिल	87070
ब्याज बैंक	140033	13वां वितायोग का आवंटन समस्त खण्ड विकास अधिकारी	9777720
योजना हेतू	10000	निधि जिला परिषद	92129
		खण्ड विकास अधिकारी नगर को राशी हस्तांतरण	121000
योग	9472293	योग	10077919

आय–व्यय जिला परिषद दिनांक 01.06.2014 से 31.8.2014 तक

आय	राशी	व्यय	राशी
वेतन/यात्रा भता/मेडिकल कनिष्ठ लेखापाल	200000	मुरम्मत सोफा	11000
वेतन/यात्रा भता/मेडिकल कनिष्ठ आशुलिपिक	180000	टेलिफोन बिल	1238
वेतन/यात्रा भता/मेडिकल कनिष्ठ अभियन्ता (नियमित)	950000	विद्युत बिल	8084
वेतन/यात्रा भता/मेडिकल कनिष्ठ अभियन्ता (अनुबन्ध)	350000	लेखन सामग्री	114
राशी हस्तांतरण खाता न0 29608 से 33397	92129	टेलिफोन भत्ता अध्यक्ष जि0प0	5800
अग्रिम अध्यक्ष जिला परिषद	20000	लेखन सामग्री	2500
मानदेय जिला परिषद	97500		

प्रस्ताव संख्या– 02 /दिनांक 24.09.2014
श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू
वन अधिकारी समितियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने बारेः–

क. मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू द्वारा सदन में अधिकारी से पूछा गया कि वन अधिकार समितियॉ जिले के अन्तर्गत किन–किन चरणों में कहॉ–कहॉ बनी है ?

ख. मान्नीय सदस्य द्वारा विभाग से पूछा गया कि इन समितियॉ के क्या –2 कार्य /अधिकार है ? विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

अतः मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त जानकारी से मान्नीय सदस्य तथा इस कार्यालय को अवगत करवाएँ।

(सम्बन्धित विभागः– वन मण्डल अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी)

प्रस्ताव संख्या :–03/ दिनांक 24.9.2014
श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जि0प0

क. सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि आई0आर0डी0पी0 और बी0पी0एल0 में पात्र उम्मीदवार के चयन का क्या नियम है, इस में पटवारी की क्या भूमिका है ?

ख. आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा अभ्यार्थी को जारी किया जाता है उसके क्या मापदण्ड है ?

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए कि वे मान्नीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों की विस्तृत जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि मान्नीय सदस्य को सूचित किया जा सके।

(सम्बन्धित विभागः– परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू / जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू)

प्रस्ताव संख्या :–04/दिनांक 24.9.2014
श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जि0प0

क. विभाग के पास कितने पुराने रोड़ है, जो अब उपयोग में नहीं है, नाम सहित विवरण स्पष्ट करें ? विभाग ने कई जगह लोगों की जमीने सड़क बनाने या विश्राम गृह बनाने व अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहित की होती है और बाद में यह सब सड़क , विश्राम गृह व अन्य कार्य बदल दिए जाते हैं, तो उस अधिग्रहित जमीन का विभाग क्या उपयोग करता है पूरी सूचि जगह के नाम सहित दी जाए ?

अधिकारी द्वारा अवगत करवाया कि विभाग के पास ऐसा कोई पुराना रोड़ नहीं है, जो अब उपयोग में नहीं है और न ही विभाग ने लोगों की जमीने सड़क बनाने या विश्राम गृह व अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहित की है, जिसे बाद में सड़क विश्राम गृह व अन्य कार्य के लिए बदल दिया गया हो।

ख. सड़क में तारकोल विछाने के क्या नियम है, तारकोल किन–किन महीने में विछाई जाती है, तारकोल विछाने के लिए तापमान कितना होना चाहिए ?

अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रत्येक सड़क की दशा के बारे में विस्तृत विवरण तथा पूर्व में की गई टायरिंग का विवरण उच्चतर कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। उसी के आधार पर विभिन्न मापदण्डो को ध्यान में रख कर टायरिंग का प्लान उच्चतर कार्यालय द्वारा किया जाता है लोक मिर्नाण विभाग में तारकोल बिछाने का

उपयुक्त समय अप्रैल से जून माह तक तथा सितम्बर से अक्तूबर माह तक होता है। तारकोल बिछाने के लिए वातावरण का कम से कम तापमान 10 डिग्री होना चाहिए।

(सम्बन्धित विभागः– अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग– 1)

प्रस्ताव संख्याः– 05/दिनांक 24.9.2014
मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद/ श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू
<u>जनहित की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने बारेः–</u>

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि मान्नीय सदस्य श्री हितेश्वर सिंह, आपके विभाग से जनहित की योजनाओं की जानकारी चाहते हैं और आपके विभाग के पम्पलैट जो कि सरकार द्वारा मुद्रित हैं, उसे भी सदन में रखने हेतू निर्देश दिए गए हैं ताकि सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी सदन के मान्नीय सदस्यों को मिल सके और वे अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक प्रचार कर सके। कुछ विभागों द्वारा लिखित जानकारी सदन में प्रस्तुत की गई थी जिससे सदन सन्तुष्ट न हो सका। इसलिए पुनः यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में Power Point presentation तैयार कर लायें ताकि सदन में विस्तृत प्रचार किया जा सके।

(सम्बन्धित विभागः–वन मण्डल अधिकारी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क शमशी)

प्रस्ताव संख्याः– 06/दिनांक 24.9.2014
मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद
<u>पटवारियों के रिक्त पदों को भरने बारेः–</u>

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि पटवारियों के रिक्त पड़े पदों के कारण जनहित के कार्यों में बाधाएँ आ रही है। जिला कुल्लू में ही नहीं बल्कि हिमाचल के सभी जिलों में पटवारी के पद रिक्त है। अतः मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध है कि पटवारियों के रिक्त पड़े पदों को भरने की अनुकम्पा करें।

(निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2)

प्रस्ताव संख्याः– 07/दिनांक 24.9.2014
मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद
<u>ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट सड़क जगतसुख से लिंक रोड़ भनारा तक (3 कि0मी0 आगे तक) सरकार इस सड़क को पी0डब्लयू0डी0 के अधीन करने बारेः–</u>

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट सड़क जगतसुख से लिंग रोड़ भनारा तक (3 कि0मी0 आगे तक) बहुत ही क्षतिग्रस्त है जिसे कि मुरम्मत करवाया जाना अति आवश्यक है। यदि इस सड़क

को लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाता है तो सड़क की देख–रेख आसानी से की जा सकती है।

अतः मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश से सरकार से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध किया गया कि ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट सड़क जगतसुख से लिंक रोड़ भनारा तक (3 कि0मी0 आगे तक) की सड़क को लोक निर्माण विभाग के अधीन करने अथवा सौंपने की अनुकम्पा करें।

(निजी सचिव, मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2)

प्रस्ताव संख्याः– 08/दिनांक 24.9.2014
श्रीमती रेश्मा ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद
<u>जल सिंचाई कुहल नगर मढ़ी से नथान पंचायत के लंराकेला गॉव तक निर्माणित कुहल में पानी की आपूर्ति करने बारेः–</u>

सदन में मान्नीय सदस्य जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि जल सिंचाई कुहल नगर मढ़ी से नथान पंचायत के लंराकेलो गॉव तक बनवाई गई है। जिस पर विभाग ने लाखों की धनराशि खर्च की है। लेकिन कुहल में आज दिनांक तक पानी नहीं आया हुआ है। विभाग द्वारा आज तक पानी की आपूर्ति किसानों को नहीं की गई लेकिन पानी का बिल सभी किसानों को भेजा जा रहा है। विभाग इस सम्बन्ध में अवगत करवाएँ। कि यदि पानी की आपूर्ति नहीं की गई है तो पानी का बिल क्यों भेजा रहा है।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे जल सिंचाई कुहल नगर मढ़ी से नथान पंचायत के लंराकेला गॉव तक निर्माणित कुहल में पानी की आपूर्ति करें तथा पानी के बिल जो किसानों को प्रेषित किए गए हैं उन्हें खारिज करें।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–09/दिनांक 24.9.2014
श्रीमती रेश्मा ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद
<u>भून्तर जीया लैफट बैंक से नगर पतली कुहल मनाली व वापिस मनाली, पतलीकुहल, नगर, जीया, भून्तर के लिए 3 बसें प्रातः, दोपहर व शाम को चलाने बारेः–</u>

सदन में मान्नीय सदस्य जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला परिषद वार्ड न0 02 नेउली की 12 पंचायतों का ब्लॉक मुख्यालय पतलीकुहल में पड़ता है। इन पंचायतों की जनता का कृषि सम्बन्धी समान इस मुख्यालय में मिलता है। इन पंचायतों के सदस्यों का आना–जाना भी होता है। मगर बड़े खेद का विषय है कि इस मुख्यालय तक आने–जाने के लिए कोई परिवहन व्यवस्था नहीं है। इन पंचायतों की जनता को ब्लाक नगर (पतलीकुहल) से बीज व अन्य सामान लाने हेतू प्राईवेट टैक्सी को प्रयोग में लाना पड़ता है। कृषि सम्बन्धि सबसीडी समान पर जो मिलती है। वह सब टैक्सी पर खर्च होती है। इस के इलावा और भी पैसा खर्च होता है। यदि भून्तर जीया लैफट बैंक से नगर

पतलीकुहल, मनाली व वापिस मनाली, पतलीकुहल, नगर, जीया, भून्तर के लिए 3 बसें प्रातः, दोपहर तथा शाम के लिए चलाई जाए तो स्थानीय जनता की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।

सदन में मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि विभाग भून्तर जीया लैफट बैंक से नगर पतलीकुहल, मनाली व वापिस मनाली, पतलीकुहल, नगर, जीया, भून्तर के लिए 3 बसें प्रातः, दोपहर तथा शाम को चलाए ताकि स्थानीय जनता की समस्या को सुलझाया जा सके।

(सम्बन्धित विभागः–अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–10 / दिनांक 24.9.2014
अध्यक्ष पंचायत समिति बन्जार
पंचायत समिति हाल के निर्माण हेतू धनराशि उपलब्ध करवाने बारेः–

सदन में अध्यक्ष पंचायत समिति बन्जार द्वारा मान्नीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि बन्जार में पंचायत समिति हाल के लिए धनराशि की आवश्यकता हैं। यदि जिला परिषद से धनराशि का प्रावधान किया जाए तो हाल का निर्माण किया जा सकता है। अतः मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्ष पंचायत समिति बन्जार को आश्वासन दिया गया कि वे एल0ए0डी0सी0 से पंचायत समिति हाल के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान करवाएँगें।

(सम्बन्धित विभागः–अध्यक्ष , जिला परिषद कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–11 / दिनांक 24.9.2014
जेन्डर बजट कमेटी का पुनः गठन करने बारेः–

सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से पूर्व में नियुक्त जेन्डर बजट कमेटी के सदस्यों को पुनः चयनित किया गया।

(सम्बन्धित विभागः– सचिव, जिला परिषद्, कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–12 / दिनांक 24.9.2014
जिला परिषद सदन में निम्नलिखित कार्यों योजनाओं के लिए धनराशि की स्वीकृति शीर्ष 13 वां वितायोग व पी0ई0ए0आई0एस0 से की गई :–

क0सं0	**कार्य योजना का नाम**	**13वां वितायोग**	**पी0ई0ए0 आई0एस0**
01	निर्माण स्टील गेट जिला परिषद भवन के पिछे	9480 / –	–––––
02	शीट पेनलिंग	97900 / –	––––––
03	रंग–रोगन जिला परिषद भवन	48900 / –	––––––
04	मुरम्मत विशेष पंचायत भवन हाल के लिए	–––––	441560 / –

(सम्बन्धित विभागः– सचिव, जिला परिषद्, कुल्लू)

प्रस्ताव संख्याः–13 / दिनांक 24.9.2014
अध्यक्ष जिला परिषद कुल्लू
<u>पी0ई0ए0आई0एस0 से पंचायत भवन कुल्लू के लिए धनराशि का समायोजन करने बारेः–</u>

मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि उपायुक्त महोदय द्वारा एल0ए0डी0सी0 से जिला परिषद विश्राम गृह के निर्माण हेतू 15 लाख की राशी स्वीकृत की थी जिसे कि पंचायत भवन कुल्लू में निर्माण हेतू प्रयोग किया गया। अतः सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त महोदय से प्राप्त एल0ए0डी0सी0 से स्वीकृत 15 लाख की राशि को पी0ई0ए0आई0एस0 में समायोजित किया जाए। क्योंकि इससे पूर्व सदन में लिए गए निर्णय अनुसार पी0ई0ए0आई0एस0 से समायोजन आधार पर ही विश्राम गृह पर धनराशि खर्च की गई है।

(सम्बन्धित विभागः– सचिव, जिला परिषद्, कुल्लू)

अन्त में श्री हरि चन्द शर्मा, मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा सदन में उपस्थित उपाध्यक्षा व समस्त गणमान्य सदस्यों एवं विभागीय अधिकारियों का बैठक में उपस्थित होने के लिए तथा सहयोग के लिए धन्यवाद किया गया।

भवदीय,

सचिव,
जिला परिषद, कुल्लू,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दिनांकः 2014

पृ0संख्याः–
प्रतिलिपिः–

1. श्री राम स्वरूप जी, मान्नीय सांसद मण्डी संसदीय क्षेत्र, गॉव व डाकघर जलपेहरतहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी।
2. श्री महेश्वर सिंह जी, मान्नीय विधायक कुल्ल, विधान सभा क्षेत्र।
3. श्री कर्ण सिंह, जी, मान्नीय विधायक बन्जार विधान सभा क्षेत्र ।
4. श्री गोविन्द ठाकुर जी, मान्नीय विधायक मनाली, विधान सभा क्षेत्र ।
5. श्री खुब राम जी, मान्नीय विधायक आनी, विधान सभा क्षेत्र ।
6. श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद् कुल्लू।
7. समस्त सदस्य जिला परिषद् कुल्लू।
8. समस्त मान्नीय अध्यक्ष, पंचायत समिति जिला कुल्लू।
9. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 शिमला–9 की सेवा में सूचनार्थ।
10. उपायुक्त महोदय कुल्लू जिला कुल्लू की सेवा में सूचनार्थ।
11. पुलिस अधीक्षक, कुल्लू जिला कुल्लू।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् एवं जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू।

13. महा प्रबन्धक, एलायन दुहांगन, हाईड्रो प्रोजैक्ट, प्रीणी, डा0 प्रीणी तह0 मनाली जिला कुल्लू।
14. महा प्रबन्धक, मलाणा फेस–1, गांव चौकी, डा0 जरी, तह0 व जिला कुल्लू।
15. महा प्रबन्धक, मलाणा फेस–2, विद्युत परियोजना प्लांट, पॉवर हाउस साईट, गॉव चौकी नजदीक जरी जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।
16. महा प्रबन्धक, एनएचपीसी, स्टेज–2 पार्वती काम्पलैक्स, नगवाई, जिला मण्डी।
17. महा प्रबन्धक, एनएचपीसी, स्टेज–3 पार्वती काम्पलैक्स, बिहाली पोस्ट लारजी, मण्डी।
18. महाप्रबन्धक, रामपुर प्रोजेक्ट, एसजेवीएनएल, झाकड़ी जिला शिमला।
19. उप–मण्डल अधिकारी (ना0) कुल्लू, मनाली, आनी तथा बन्जार।
20. अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कुल्लू मण्डल प्रथम व द्वितीय एवं निरमण्ड।
21. अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0।
22. अधिशाषी अभियंता, विद्युत विभाग कुल्लू मण्डल कुल्लू, आनी एवं मनाली।
23. अधिशाषी अभियंता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग मण्डल आनी, शमशी व कुल्लू।
24. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल आनी, सराज, पार्वती व कुल्लू।
25. वन मण्डल अधिकारी (वन्य प्राणी) मण्डल शमशी एवं कुल्लू ।
26. वन मण्डल अधिकारी, मिड हिमालय जलागम परियोजना कुल्लू तथा रामपुर।
27. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कुल्लू।
28. अरण्यपाल, वन विभाग कुल्लू।
29. अरण्यपाल, जी0एच0एन0पी0 शमशी जिला कुल्लू।
30. वरिष्ठ प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटिड शाड़ावाई भून्तर एच0पी0टी0सी0एल0 शाड़ावाई जिला कुल्लू।
31. महाप्रबन्धक, सैंज हाईड्रोपॉवर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश पॉवर निगम लिमिटेड मण्डल, शाढ़ावाई भून्तर तहसील भून्तर जिला कुल्लू।
32. लारजी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट शाड़ावाई, जिला कुल्लू।
33. प्रबन्धक, पार्वती ट्रानसमिशन लिमिटिड हाथीथान जिला कुल्लू।
34. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू।
35. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व उच्च शिक्षा कुल्लू।
36. जिला योजना अधिकारी, कुल्लू।
37. जिला राजस्व अधिकारी, कुल्लू।
38. उप निदेशक उद्यान, विभाग कुल्लू।
39. उप निदेशक, कृषि विभाग कुल्लू।
40. जिला कल्याण अधिकारी, कुल्लू।
41. जिला आयुर्वेदा अधिकारी, कुल्लू।
42. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुल्लू।
43. जिला भू–संरक्षण अधिकारी, कुल्लू तथा रामपुर।
44. जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, कुल्लू।
45. जिला भाषा अधिकारी, कुल्लू।
46. खण्ड विकास अधिकारी, निरमण्ड, आनी, बन्जार, नगर व कुल्लू।

47. सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, कुल्लू।
48. मण्डलीय प्रबन्धक, वन निगम कुल्लू तथा रामपुर।
49. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कुल्लू।
50. अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग लोक निर्माण विभाग पण्डोह जिला मण्डी।
51. सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग लोक निर्माण विभाग उप मण्डल कटराई डा0 कटराई ज़िला कुल्लू।
52. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जरड़ ज़िला कुल्लू।
53. क्षेत्रिय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, कुल्लू तथा रामपुर।
54. जिला साख्यिकी अधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू।
55. उप–निदेशक, पशु पालन विभाग, कुल्लू।
56. जिला प्रबन्धक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम कुल्लू।
57. परियोजना अधिकारी, हिम ऊर्जा कुल्लू।
58. जिला मत्स्य अधिकारी, कुल्लू।
59. नगर एवं ग्राम योजनाकार मण्डलीय नगर योजना कार्यालय कुल्लू।
60. क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी कुल्लू।
61. आदेशक गृह रक्षक सातवीं वाहिनी, कुल्लू।
62. जिला कार्यक्रम अधिकारी कुल्लू।
63. जिला पर्यटन अधिकारी मनाली ज़िला कुल्लू।
64. सहायक अभियन्ता, आवास व शहरी विकास प्राधिकरण कुल्लू।
65. सचिव, कृषि उत्पाद मण्डी समिति कुल्लू जिला कुल्लू।
66. जिला खेल अधिकारी, कुल्लू।
67. अधिशाषी अभियन्ता, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बदाह कुल्लू।
68. क्षेत्रिय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम मण्डी।

सचिव,
जिला परिषद, कुल्लू,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)